दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग (DEPwD) ने दिव्यांग व्यक्तियों (PwDs) के लिए सार्वभौमिक पहुँच प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान के रूप में एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन (सुगम्य भारत अभियान) शुरू किया है। इसके निम्नलिखित तीन महत्वपूर्ण घटक हैं

भाग ए: निर्मित पर्यावरण पहुंच

एक सुलभ भौतिक वातावरण सभी को लाभ देता है, न कि दिव्यांग व्यक्तियों को। स्कूलों, चिकित्सा सुविधाओं और कार्यस्थलों सहित इनडोर और बाहरी सुविधाओं के लिए बाधाओं और बाधाओं को खत्म करने के लिए उपाय किए जाने चाहिए। इनमें केवल इमारतें ही नहीं, बल्कि फुटपाथ, कटान पर अंकुश और पैदल चलने वालों के आवागमन को अवरुद्ध करने वाली बाधाएँ शामिल होंगी।

उद्देश्य 1: सुलभ सरकारी भवनों के अनुपात को बढ़ाना

एक सुलभ सरकारी भवन एक है, जहां दिव्यांग व्यक्तियों को इसमें प्रवेश करने और उसमें सभी सुविधाओं का उपयोग करने में कोई बाधा नहीं है। इसमें निर्मित वातावरण - सेवाएं, चरण और रैंप, गलियारे, प्रवेश द्वार, आपातकालीन निकास, पार्किंग - साथ ही प्रकाश, साइनेज, अलार्म सिस्टम और शौचालय सहित इनडोर और बाहरी सुविधाएं शामिल हैं। सुलभ इमारतों की पहचान करने के लिए वार्षिक पहुँच क्षमता ऑडिट की आवश्यकता होती है जो यह निर्धारित करती है कि कोई भवन मानकों पर सहमत है या नहीं। एक बार एक इमारत को पूरी तरह से सुलभ माना जाता है, एक वार्षिक ऑडिट आवश्यक नहीं है, लेकिन इसमें निहित संरचना या सिस्टम में किसी भी प्रस्तावित परिवर्तन के लिए आवश्यक होना चाहिए। एक पूर्ण ऑडिट तब कम लगातार आधार पर किया जा सकता है। सुलभता के मानकों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होना चाहिए, जैसे कि आईएसओ, स्थानीय संदर्भ को ध्यान में रखते हुए। निर्मित पर्यावरण के संबंध में, आईएसओ 21542: 2011, भवन निर्माण - निर्मित पर्यावरण की पहुंच और उपयोगिता, निर्माण, विधानसभा, घटकों और फिटिंग के संबंध में आवश्यकताओं और सिफारिशों का एक सेट प्रस्तुत करता है।
लक्ष्य १.१: कम से कम २५-५० सबसे महत्वपूर्ण सरकारी भवनों के अभिगम्यता ऑडिट का संचालन करना और उन्हें चयनित ५० शहरों में पूरी तरह से सुलभ भवनों में परिवर्तित करना।

लक्ष्य 1.2: राष्ट्रीय राजधानी के सभी सरकारी भवनों और सभी राज्यों की राजधानियों को पूरी तरह से सुलभ इमारतों में परिवर्तित करना
लक्ष्य 1.3: सरकारी भवनों के 50% की ऑडिट का संचालन करना और उन्हें 10 सबसे महत्वपूर्ण शहरों / कस्बों में पूरी तरह से सुलभ भवनों में परिवर्तित करना। राज्य (उन लोगों के अलावा, जो पहले से ही लक्ष्य 1.1 और 1.2 से ऊपर के हैं)

पार्ट बी: ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एक्सेसिबिलिटी

स्वतंत्र जीवन के लिए परिवहन एक महत्वपूर्ण घटक है, और समाज के अन्य लोगों की तरह, PwD एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए परिवहन सुविधाओं पर निर्भर हैं। परिवहन शब्द में हवाई यात्रा, बसें, टैक्सी और रेलगाड़ियाँ शामिल हैं।

उद्देश्य 2: सुलभ हवाई अड्डों का अनुपात बढ़ाना

एक हवाई अड्डा सुलभ है, अगर दिव्यांगता वाले व्यक्ति को इसमें प्रवेश करने में कोई बाधा नहीं है, सभी सुविधाओं का उपयोग करते हुए, और हवाई जहाज से बोर्डिंग और डिस्बार्किंग। यह निर्मित वातावरण - सतहों, कदमों और रैंप, गलियारों, प्रवेश के तरीकों, आपातकालीन निकास, पार्किंग के साथ-साथ इनडोर और आउटडोर सुविधाओं सहित प्रकाश व्यवस्था, साइनेज, अलार्म सिस्टम और शौचालय को कवर करता है।
लक्ष्य 2.1: सभी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डों की पहुंच योग्यता ऑडिट करना और उन्हें पूरी तरह से सुलभ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों में परिवर्तित करना
लक्ष्य 2.2: सभी घरेलू हवाई अड्डों की पहुंच क्षमता ऑडिट आयोजित करना और उन्हें पूरी तरह से सुलभ हवाई अड्डों में परिवर्तित करना।

उद्देश्य 3: सुलभ रेलवे स्टेशनों के अनुपात को बढ़ाना

लक्ष्य 3.1: यह सुनिश्चित करना कि A1, A और B देश के रेलवे स्टेशनों को दिसंबर 2018 तक पूरी तरह से सुलभ रेलवे स्टेशनों में बदल दिया जाए।
लक्ष्य 3.2: यह सुनिश्चित करना कि देश के 50% रेलवे स्टेशन पूरी तरह से सुलभ रेलवे स्टेशनों में परिवर्तित हो गए हैं

उद्देश्य 4: सुलभ सार्वजनिक परिवहन के अनुपात को बढ़ाना

लक्ष्य 4.1: यह सुनिश्चित करना कि देश में 25% सरकारी स्वामित्व वाली सार्वजनिक परिवहन वाहक मार्च 2019 तक पूरी तरह से सुलभ वाहक में परिवर्तित हो जाएं

भाग सी: सूचना और संचार इको-सिस्टम अभिगम्यता

सूचना तक पहुंच समाज में सभी के लिए अवसर पैदा करती है। सूचना तक पहुंच सभी सूचनाओं को संदर्भित करती है। लोग अपने दैनिक जीवन के बारे में निर्णय लेने के लिए कई रूपों में जानकारी का उपयोग करते हैं। यह मूल्य टैग पढ़ने में सक्षम होने, शारीरिक रूप से एक हॉल में प्रवेश करने, किसी कार्यक्रम में भाग लेने, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के साथ एक पुस्तिका पढ़ने, ट्रेन समय सारिणी को समझने, या वेबपेजों को देखने जैसी क्रियाओं से लेकर हो सकता है। अब बुनियादी ढांचे के सामाजिक बाधाओं को नहीं होना चाहिए, और दुर्गम प्रारूप दैनिक जीवन में जानकारी प्राप्त करने और उपयोग करने के तरीके में खड़े होते हैं।

उद्देश्य 5: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सुलभता मानकों को पूरा करने वाले सुलभ और उपयोगी सार्वजनिक दस्तावेजों और वेबसाइटों के अनुपात में वृद्धि

यह लक्ष्य एक निर्दिष्ट वर्ष के रूप में प्रकाशित सार्वजनिक दस्तावेजों के रूपांतरण और सभी मौजूदा वेबसाइटों को मानकीकरण (आईएसओ) मानदंडों के लिए प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय संगठन को पूरा करने को सुनिश्चित करेगा, जो आईएसओ / आईईसी 40500: 2012, सूचना प्रौद्योगिकी - डब्ल्यू 3 सी वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी दिशानिर्देशों में पाए जाते हैं। डब्ल्यूसीएजी) 2.0। सार्वजनिक दस्तावेज राष्ट्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए सभी दस्तावेजों के साथ-साथ सभी उप-दस्तावेज दस्तावेजों का उल्लेख करते हैं। उनमें सभी प्रकाशन जैसे कानून, नियम, रिपोर्ट, प्रपत्र और सूचना ब्रोशर शामिल हैं। लक्ष्य 5.1: सभी सरकारी (केंद्र और राज्य सरकारों दोनों) वेबसाइटों के 50% तक पहुँच योग्यता का संचालन करना और उन्हें पूरी तरह से सुलभ वेबसाइटों में परिवर्तित करना लक्ष्य 5.2: यह सुनिश्चित करना कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए सभी सार्वजनिक दस्तावेजों में से कम से कम 50% मिलें पहुँच मानकों

उद्देश्य 6: संकेत भाषा दुभाषियों के पूल को बढ़ाना

लक्ष्य 6.1: प्रशिक्षण और 200 अतिरिक्त सांकेतिक भाषा दुभाषियों को विकसित करना।

उद्देश्य 7: सार्वजनिक टेलीविजन समाचार कार्यक्रमों की दैनिक कैप्शनिंग और साइन-लैंग्वेज व्याख्या का अनुपात बढ़ाना

सार्वजनिक टेलीविजन समाचार कार्यक्रमों का अनुपात जो दैनिक कैप्शनिंग और साइन-लैंग्वेज व्याख्या के मानकों पर सहमत हैं। सार्वजनिक टेलीविजन उन कार्यक्रमों को संदर्भित करता है जो सरकार द्वारा उत्पादित, वित्त पोषित या अनुदानित हैं।
लक्ष्य 7.1 राष्ट्रीय मीडिया प्राधिकारियों के परामर्श से कैप्शनिंग और सांकेतिक भाषा की व्याख्या पर राष्ट्रीय मानकों को विकसित करना और अपनाना।
लक्ष्य 7.2 यह सुनिश्चित करना कि सरकारी चैनलों द्वारा प्रसारित सभी सार्वजनिक टेलीविजन कार्यक्रमों का 25% इन मानकों को पूरा करता है। पहुँच सभी के लिए समान पहुँच देने के बारे में है। समुदायों में पाई जाने वाली सुविधाओं और सेवाओं तक पहुंचने में सक्षम हुए बिना, दिव्यांग व्यक्तियों को कभी भी पूरी तरह से शामिल नहीं किया जाएगा। सुगम्य भारत अभियान "सुलभ पुलिस स्टेशनों","सुलभ अस्पतालों","सुलभ पर्यटन" और "सुलभ डिजिटल इंडिया" आदि की तलाश के लिए सभी केंद्र सरकार के विभागों / मंत्रालयों और राज्य सरकारों के सहयोग की मांग करेगा, दोनों सार्वजनिक और निजी संगठनों को प्रोत्साहित किया जाता है सुलभ बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए अपने सीएसआर फंड का उपयोग करने के लिए। वे अपनी रुचि की परियोजनाओं को अपना सकते हैं उदा। अस्पताल को सुलभ बनाना या स्कूल में सुलभ शौचालय बनाना। एक बार जब कोई संगठन इस पोर्टल से कुछ संख्या में परियोजनाओं को अपनाने का फैसला करता है, तो वे "संगठनात्मक सितारे" बनने के हकदार होंगे और एक्सेसिबल इंडिया पोर्टल के होम पेज पर संगठन का नाम और लोगो दिखाई देगा। इन संगठनों को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांग लोगों के अधिकारिता विभाग के वार्षिक पुरस्कार समारोह में पुरस्कृत और मान्यता प्राप्त किया जाएगा। भारत की।

सुगम्य भारत अभियान – बहुधा पूछे गए प्रश्न(एफएक्यू)

1. सुगम्य भारत अभियान क्या है?

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिव्यांगजनों के लिए सार्वभौमिक सुगम्यता प्राप्त करने के लिए, एक राष्ट्रव्यापी अभियान के रूप में ऐक्सेसिबल इंडिया कैम्पेयन(सुगम्य भारत अभियान) लागू किया जा रहा है । इसमें कार्यान्वयन के तीन महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, नामतः निर्मित वातावरण,

परिवहन क्षेत्र और आईसीटी पारिस्थितिकी तंत्र।

2. सुगम्य भारत अभियान का लक्ष्य (विजन) क्या है ?

सुगम्य भारत अभियान का लक्ष्य (विजन) दिव्यांगों के स्वतंत्र, सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन के लिए एक बाधा मुक्त वातावरण बनाना है। यह लक्ष्य (विज़न) "सुगम्य भारत, सशक्त भारत" अभिव्यक्ति को घोषित करता है।

3. सुगम्य भारत अभियान कब शुरू किया गया था ?

अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस के अवसर पर 3 दिसंबर 2015 को सुगम्य भारत अभियान शुरू किया गया था।

4. सुगम्य भारत अभियान को कौन निर्देशित करता है?

सुगम्य भारत अभियान ने युनाइटेड नेशन्स कन्वेंशन ऑन राइट्स फॉर पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज़ (यूएनसीआरपीडी; 2007) से प्रेरणा ली, जिस पर भारत एक हस्ताक्षरकर्ता है। सुगम्य भारत अभियान की कार्य योजना और लक्ष्य इंचियोन कार्यनीति के लक्ष्य 3 से प्राप्त किए गए हैं, जो "मेक द राइट रियल" (अधिकार को साकार बनाना) का प्रयास करते हैं।

5. दिव्यांगजन अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 सुगम्य भारत अभियान से कैसे संबंधित है?

अभियान और सुगम्यता अधिकार को पूर्ण विधायी कवर प्रदान करने के लिए, सरकार ने दिव्यांगजन अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 अधिनियमित किया, जो अप्रैल 2017 से लागू हुआ। पहले के विपरीत सुगम्यता दिव्यांगजनों के लिए एक अधिकार बन गया है, जब इसे केवल एक कल्याणकारी उपाय) के रूप में देखा जा रहा था । अधिनियम या उसके तहत नियमों के प्रावधानों का पालन न करने को दंडनीय बनाया गया है जिसके लिए जुर्माना और कारावास की सजा हो सकती है। इस प्रकार, सुगम्य भारत अभियान अधिनियम के प्रावधानों को वास्तविक बनाने का एक साधन बन गया है।

6. क्या दिव्यांगजन अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 में सुगम्यता के बारे में क्या कहा गया हैं?

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2 0 1 6 की धारा 40-46 के माध्यम से सभी सार्वजनिक केंद्रिक इमारतों, परिवहन प्रणाली, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) सेवाओं,

उपभोक्ता उत्पादों और सरकार या अन्य सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जा रही अन्य सभी सेवाओं में सुगम्यता सुनिश्चित करने के लिए अधिदेश दिया गया है जिसे समयबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए। इस अधिनियम में विभिन्न क्षेत्रों में सुगम्यता लाने के लिए सुगम्यता मानक/दिशा-निर्देश तैयार करने का भी प्रावधान है।

7. सुगम्य भारत अभियान के तहत क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

अभियान के तीन स्तंभों के तहत निम्नलिखित लक्ष्य हैं:

I. निर्मित वातावरण में सुगम्यता

क) लक्ष्य 1.1: कम से कम 25-50 सबसे महत्वपूर्ण सरकारी इमारतों की सुगम्यता लेखा परीक्षा आयोजित करना और उन्हें चयनित 50 शहरों में पूरी तरह से सुगम्य इमारतों में परिवर्तित करना।

ख) लक्ष्य 1.2 : राष्ट्रीय राजधानी और सभी राज्यों की राजधानियों के सभी सरकारी भवनों में से 50% को पूरी तरह से सुगम्य इमारतों में परिवर्तित करना।

ग) लक्ष्य 1.3: 50% सरकारी इमारतों का ऑडिट करना और उन्हें सभी राज्यों के 10 सबसे महत्वपूर्ण शहरों/नगरों में पूरी तरह से सुगम्य इमारतों में परिवर्तित करना (उन लोगों के अलावा, जो पहले से ही ऊपर लक्ष्य 1.1 और 1.2 में शामिल हैं)।

II. परिवहन प्रणाली

हवाई अड्डे

क) लक्ष्य 2.1: सभी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों की सुगम्यता लेखा परीक्षा आयोजित करना और उन्हें पूरी तरह से सुगम्य अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों में परिवर्तित करना।

ख) लक्ष्य 2.2: सभी घरेलू हवाई अड्डों की सुगम्यता लेखा परीक्षा आयोजित करना और उन्हें पूरी तरह से सुगम्य हवाई अड्डों में परिवर्तित करना ।

रेलवे

क) लक्ष्य 3.1: यह सुनिश्चित करना कि देश के रेलवे स्टेशनों की ए1, ए और बी श्रेणियों को पूरी तरह से सुगम्य रेलवे स्टेशनों में बदल दिया गया है।

ख) लक्ष्य 3.2: यह सुनिश्चित करना कि देश के 50% रेलवे स्टेशनों को पूरी तरह से सुगम्य रेलवे स्टेशनों में बदल दिया गया है।

सार्वजनिक परिवहन (बसें)

क) लक्ष्य 4.1: यह सुनिश्चित करना कि देश में सरकारी स्वामित्व वाले सार्वजनिक परिवहन वाहकों के 25% को पूरी तरह से सुगम्य वाहकों में बदल दिया गया है।

ख) लक्ष्य 4.1: यह सुनिश्चित करना कि देश में सरकारी स्वामित्व वाले सार्वजनिक परिवहन वाहकों के 25% को पूरी तरह से सुगम्य वाहकों में बदल दिया गया है।

III. आईसीटी पारिस्थितिकी प्रणाली

क) लक्ष्य 5.1: सभी सरकारी (केंद्र और राज्य दोनों सरकारों) वेबसाइटों के 50% में सुगम्यता लेखा परीक्षा आयोजित करना और उन्हें पूरी तरह से सुगम्य वेबसाइटों में बदलना ।

ख) लक्ष्य 5.2: यह सुनिश्चित करना कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए सभी सार्वजनिक दस्तावेजों में से कम से कम 50% सुगम्यता के मानकों को पूरा करते हैं।

8. क्या सुगम्य भारत अभियान के तहत सहायता अनुदान जारीकिया गया है है?

जी हां, सुगम्य भारत अभियान के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जीआईए जारी किया जाता है, ताकि भारत भर में चिन्हित 49 शहरों में चयनित और सुगम्यता ऑडिट की गई इमारतों को उनमें सुगम्यता की रेट्रोफिटिंग सुविधाओं के माध्यम से सुगम्य बनाया जा सके। चयनित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की वेबसाइटों को सुगम्य बनाने के लिए ईआरएनईटी को निधियां भी दी जाती है।

9. निर्मित वातावरण सुगम्यता क्या है?

एक सुगम्य निर्मित या भौतिक(फिजिकल) वातावरण केवल दिव्यांग व्यक्तियों को ही नहीं, सभी को लाभ पहुंचाता है । स्कूलों, चिकित्सा सुविधाओं और कार्यस्थलों सहित इनडोर और आउटडोर सुविधाओं में रूकावटों और बाधाओं को दूर करने के लिए उपाय किए जाने चाहिए । इसके अलावा, इनमें सभी सार्वजनिक स्थान जैसे सड़क, फुटपाथ, पार्क और उद्यान आदि शामिल होंगे। एनबीसी में दिए गए अनुसार निर्मित वातावरण सुगम्यता में इमारत के संभावित उपयोगकर्ताओं के द्वारा उन गतिविधियों के दौरान व्यक्तिगत स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के आश्वासन के साथ, स्वतंत्र दृष्टिकोण, प्रवेश, निकासी और/या इमारत और उसकी सेवाओं तथा सुविधाओं के उपयोग में आसानी शामिल है।

10. कौन सी इमारतें हैं जिन्हें सुगम्य बनाने की जरूरत है?

सभी सार्वजनिक केन्द्रिक इमारतों, यानी वे इमारतों जिनका जनता द्वारा बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है, उन्हें सुगम्य बनाने की जरूरत है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2 (डब्ल्यू) के तहत ' सार्वजनिक इमारतों ' को सरकारी या निजी इमारतों के रूप में , परिभाषित किया गया है, जिसका उपयोग या ऐक्सेस बड़े पैमाने पर जनता द्वारा किया जाता है, जिसमें शैक्षिक या व्यावसायिक उद्देश्यों,

कार्यस्थल, वाणिज्यिक गतिविधियों, सार्वजनिक उपयोगी सेवाएँ , धार्मिक, सांस्कृतिक, अवकाश या मनोरंजक गतिविधियों, चिकित्सा या स्वास्थ्य सेवाओं, कानून प्रवर्तन एजेंसियों, सुधारक (रेफ़ोर्ममेटज) या न्यायिक क्षेत्र , रेलवे स्टेशन या प्लेटफार्म, रोडवेज बस स्टैंड या टर्मिनस, हवाई अड्डे या जलमार्ग आदि के लिए उपयोग की जाने वाली इमारतें शामिल हैं।

11. क्या पूरी इमारत को सुगम्य बनाने की आवश्यकता है?

जी हां, यह महत्वपूर्ण है कि पूरी इमारत को सुगम्य बनाया जाए ताकि अधिकारियों, कर्मचारियों, निवासियों सहित इमारत के सभी उपयोगकर्ता, आयु, जेंडर या दिव्यांगता पर ध्यान दिए बिना, परिसर तक पहुंच सकें और एक सुगम्य इमारत से लाभान्वित हो सके।

12. 'उचित आवास' का क्या अर्थ है?

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 किसी विशेष मामले में अधिक या अनुचित बोझ लगाए बिना, आवश्यक और उचित संशोधन और समायोजन के रूप में "उचित आवास" को परिभाषित करता है, ताकि दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा दूसरे लोगों के समान ही अपने अधिकारों का उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

13. सार्वजनिक सुविधाओं और सेवाओं का क्या अर्थ है?

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 की धारा 2 (x) के तहत सार्वजनिक सुविधाओं और सेवाओं को परिभाषित करती है, जिसमें आवास, शैक्षिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण, रोजगार और कैरियर उन्नति, खरीदारी या विपणन, धार्मिक, सांस्कृतिक, अवकाश या मनोरंजन, चिकित्सा, स्वास्थ्य और पुनर्वास, बैंकिंग, वित्त और बीमा, संचार, डाक और सूचना, न्याय, सार्वजनिक उपयोगी सेवाओं , परिवहन तक पहुंच सहित बड़े पैमाने पर जनता के लिए सेवाओं के वितरण के सभी रूप शामिल है।

14. सभी इमारतों और सेवाओं को सुगम्य बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है?

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 में यह अधिदेश दिया गया है कि भवन या सेवा को सुगम्य बनाने की जिम्मेदारी भवन या सेवा के मालिक (धारा 45 के तहत) पर है। हालांकि सुगम्यता को मानकों/दिशा-निर्देशों के अधिसूचित नियमों के अनुसार उपलब्ध कराना होगा जिसे संबंधित केंद्र सरकार द्वारा तैयार किया जाएगा ।

15. क्या कोई सुगम्यता मानक/दिशानिर्देश उपलब्ध हैं?

वर्तमान में, आरपीडब्ल्यूडी नियमों, 2017 के तहत पहले से ही तीन (3) सुगम्यता मानक/दिशानिर्देश अधिसूचित हैं। ये इस प्रकार हैं:

i. दिव्यांग व्यक्तियों के लिए इमारतों के लिए बाधा मुक्त वातावरण के लिए सुसंगत दिशानिर्देश और स्थान मानक।

ii. बसों के लिए बस बॉडी कोड में दिव्यांगजनों के लिए सुगम्यता मानक।

iii. केवल सरकारी वेबसाइटों के लिए भारत सरकार की वेबसाइटों के लिए दिशानिर्देश।

16. क्या सार्वजनिक इमारतों के लिए सुगम्यता की अवधारणाओं को समझने के लिए कोई संदर्भ दस्तावेज या आसान रेकनर उपलब्ध है?

विभाग के पास एक आसान रेकनर है जो इमारतों में उपलब्ध कराए जाने वाले सुगम्यता की 10 प्रमुख विशेषताओं का सारांश है, जो सुसंगत दिशा-निर्देशों से प्राप्त किए गए हैं।

17. सुगम्य भारत अभियान को लागू करने में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) की भूमिका क्या है?

डीईपीडब्ल्यूडी, दिव्यांगता संबंधी मामलों का नोडल मंत्रालय होने के नाते, सुगम्य भारत अभियान के समग्र पर्यवेक्षण और मॉनिटरिंग की जांच करता है। यह व्यावहारिक सहायता प्रदान करने और सुगम्यता के क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए उपाय करता है । इसके अलावा, डीईपीडब्ल्यूडी चयनित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के सरकारी भवनों और वेबसाइटों को सुगम्य बुनियादी ढांचे और सेवाओं में बदलने के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है ।

सुगम्य भारत अभियान

समावेशी समाज सशक्त भारत का निर्माण करता है

सुगम्य भारत अभियान

सुगम्य भारत - सशक्त भारत

आज दिव्यांगजनों के लिए अवसरों और सुगम्यता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि देश का प्रत्येक व्यक्ति सशक्त हो, समावेशी समाज का निर्माण हो, समानता की भावना पैदा हो और सहयोग से समाज में सद्भाव बढ़े और हर कोई एक साथ आगे अग्रसर हो ।

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

अध्याय

परिचय..... 01

1. सुगम्य भारत अभियान - उत्पत्ति..... 03

2. सुगम्य भारत अभियान की कवरेज -

मुख्य विशेषताएं, उपलब्धियां और सर्वोत्तम प्रथाएं 07

I निर्मित वातावरण 07

II. परिवहन क्षेत्र 09

III. सूचना और संचार प्रौद्योगिकी इकोसिस्टम..... 14

3. प्रगति की ओर 16

4. ट्रैकिंग और मॉनीटरिंग 18

5. निरंतर जागरूकता सृजन और अभियान को आगे बढ़ाना 20

6. प्रशंसापत्र 27

समाचारों में..... 28

परिचय

वास्तव में समावेशी समाज एक ऐसा समाज है जिसमें हर कोई एक स्वतंत्र, आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकता है और राष्ट्र के समग्र विकास में योगदान दे सकता है। लेकिन असुगम्य भौतिक वातावरण, गतिशीलता और परिवहन की कमी, सहायक उपकरणों और प्रौद्योगिकियों की अनुपलब्धता, असुगम्य वेबसाइटों और सेवाओं से दिव्यांगजनों की मुख्यधारा की सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में समान भागीदारी में बाधा उत्पन्न होती है।

2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 2.68 करोड़ दिव्यांगजन हैं। अत:, अवसरों में समानता और एक सक्षम वातावरण प्रदान करके दिव्यांगजनों की मदद करने के लिए बाधा मुक्त वातावरण और सुगम्य इकोसिस्टम का निर्माण करने की आवश्यकता महसूस की गई थी।

सुगम्यता की कमी

वर्ष 2015 से पहले सुगम्यता से संबंधित मुद्दों पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया था। यह स्थिति इसके बावजूद थी कि भारत ने यूनाईटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज (यू एन सी आर पी डी) 2007 की पुष्टि की थी और बाधा मुक्त वातावरण के विकास और सुगम्यता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की थी । फिर भी, न तो एक मजबूत कानून, तय

समय सीमा के साथ लागू किया गया था, और न ही सुगम्यता सुनिश्चित करने के लिए एक समर्पित अभियान शुरू किया गया था।

कानून को मज़बूत बनाए जाने की आवश्यकता

तत्कालीन नि:शक्तजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 मुख्य रूप से कल्याण पर आधारित था। सुगम्यता से संबंधित प्रावधान सीमित थे और वे व्यापक नहीं थे। नि:शक्तजनों द्वारा इन प्रावधानों को अधिकार के रूप में लागू नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा, अधिनियम में न तो सुगम्यता मानक निर्धारित करने का कोई प्रावधान किया गया था, और न ही इनके अनुपालन की कोई समय सीमा तय की गई थी ।

अध्याय-1

सुगम्य भारत अभियान - उत्पत्ति

माननीय प्रधानमंत्री ने स्वयं 'दिव्यांगजन' शब्द दिया और 3 दिसंबर 2015 को विश्व दिव्यांगता दिवस के अवसर पर सुगम्य भारत अभियान का शुभारंभ किया था।

सुगम्य भारत – एक सशक्त भारत का निर्माण

वर्ष 2014 से सार्वजनिक स्थानों पर सेवाओं और सुविधाओं को दिव्यांगजनों के अनुकूल बनाने का प्रावधान करना, दिव्यांगता क्षेत्र के लिए सुगम्यता संबंधी मुद्दों पर काम करने की सरकार की गंभीरता को दर्शाता है। 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' के सिद्धांत के अनुरूप सरकार ने सार्वभौमिक (यूनिवर्सल) सुगम्यता प्रदान करने का संकल्प लिया है। इसके तहत ही वर्ष 2015 में सुगम्य भारत अभियान का शुभारंभ किया गया। हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों सहित पूरे सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में सुगम्यता सुनिश्चित करने के लिए सरकार सुगम्य भारत अभियान की अवधारणा को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है।

सुगम्य भारत अभियान का विज़न है, एक्सेसिबल इंडिया, एम्पावर्ड इंडिया' -सुगम्य भारत, सशक्त भारत ।

सुगम्य भारत अभियान की आधारशिला

सुगम्य भारत अभियान ने यू एन सी आर पी डी (UNCRPD) से प्रेरणा ली और इसकी कार्य योजना और लक्ष्य, इंचियोन रणनीति के लक्ष्य 3 से प्राप्त किए गए हैं जो "अधिकार को साकार बनाने" का प्रयास करते है।

तदनुसार, इस अभियान में सार्वभौमिक (यूनिवर्सल) बाधा मुक्त वातावरण के निर्माण के लिए तीन स्तंभ - निर्मित वातावरण, परिवहन क्षेत्र और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) इकोसिस्टम में सुगम्यता की विशेषताएं प्रदान करने की परिकल्पना की गई हैं।

अभियान और सुगम्यता के अधिकार को पूर्ण कानूनी मजबूती प्रदान करने के लिए, सरकार ने दिव्यांगजन अधिकार (आर पी डब्ल्यू डी) अधिनियम, 2016 अधिनियमित किया था जो अप्रैल, 2017 से लागू हुआ है। इसके तहत दिव्यांगजनों के लिए सुगम्यता एक अधिकार बन गयी है, जबकि इससे पहले यह केवल एक कल्याणकारी उपाय था। अधिनियम या उसके तहत नियमों के प्रावधानों का पालन न करने पर जुर्माने और कारावास की सजा का विधान किया गया है।। इस प्रकार, सुगम्य भारत अभियान अधिनियम के प्रावधानों को साकार बनाने का एक साधन है।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की मुख्य विशेषताएं

धारा 40
शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी 3 घटकों में सुगम्यता के मानक निर्धारित करने वाले नियम बनाना

धारा 41 से 43
परिवहन, आईसीटी, यूनिवर्सिली डिजाइन किए गए उपभोक्ता उत्पादों में सुगम्यता के लिए सुविधाएं प्रदान करना

धारा 44
निर्धारित मानकों के अनुसार सुगम्यता कानून का अनिवार्य पालन सुनिश्चित करना (धारा 40)

धारा 45 और 46
मौजूदा बुनियादी ढांचे/सेवाओं को सुगम्य बनाने के लिए समय सीमा तय करना –इमारतों के लिए (5 वर्ष) और सेवाओं के लिए (2 वर्ष)

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर शुरू किए गए सुगम्य भारत अभियान ने दिव्यांगता के क्षेत्र में उत्साहवर्धन किया है। इस अभियान को सभी क्षेत्रों में सुगम्यता की आवश्यक विशेषताओं से संबंधित समाज में व्यवस्थित परिवर्तन लाने के रूप में देखा जा रहा है।

अभियान के उद्देश्य और ध्येय

अभियान का उद्देश्य एक बाधा मुक्त वातावरण बनाने की प्रक्रिया को औपचारिक रूप देना और सार्वजनिक सुविधाओं और स्थानों में दिव्यांगजनों के अनुकूल सुगम्यता प्रदान करना है। इसका मुख्य उद्देश्य मुख्यधारा की सुगम्यता का निर्माण करना है ताकि इसे हमारी संस्कृति और लोकाचार का अटूट हिस्सा बनाया जा सके।

सुगम्यता को केवल दिव्यांगजनों के लिए ही नहीं समझा जाना चाहिए। यह जीवन के विभिन्न चरणों में हर किसी के लिए

आवश्यक है- चाहे वह बचपन हो, बुढ़ापा, गर्भावस्था, बीमारी का समय हो, दुर्बलता हो, सर्जरी हुई हो, आदि।

"सुगम्य भारत अभियान के कार्यान्वयन से चाहे वह स्कूल हो, अस्पताल, सरकारी कार्यालय, बस टर्मिनल, रेलवे स्टेशन, बैंक, लिफ्ट, वेब पर डिजिटल सामग्री इत्यादि हो , इसे और अधिक ' दिव्यांगजनों के अनुकूल', बनाने में फिजिकल और वर्चुअल दोनों प्रकार के बुनियादी ढांचे में सुधार करना होगा। पूरे बुनियादी ढांचे को सुगम्य बनाने के लिए नवाचार, प्रौद्योगिकी, प्रणालियों और संवेदनशीलता की आवश्यकता होगी।"

- सुगम्य भारत अभियान के शुभारंभ पर माननीय प्रधानमंत्री का वक्तव्य, दिसम्बर, 2015

अध्याय-2

सुगम्य भारत अभियान की कवरेज –

मुख्य विशेषताएं, उपलब्धियां और सर्वोत्तम प्रथाएं

तीन स्तंभों में सुगम्यता:

I. निर्मित वातावरण

इसका उद्देश्य सरकारी भवनों में सुगम्यता बढ़ाना है। सीढ़ियां, रैंप, डबल हाइट हैंडरेल्स, गलियारों में टेक्टाइल पथ, चौड़े प्रवेश द्वार, आरक्षित पार्किंग, दिव्यांगजन अनुकूल शौचालय, सुगम्य लिफ्ट, आदि में सुगम्यता की विशेषताओं का प्रावधान करना है। सार्वजनिक भवनों जैसे स्कूल, अस्पताल, पुलिस स्टेशन, कोर्ट, पर्यटन स्थल आदि को सुगम्य बनाने पर जोर दिया जा रहा है।

सुगम्यता के अधिसूचित मानक	हारमोनाईज़ड गाईडलाईन्ज़ एंड स्पेस स्टैन्डर्ड्स फोर बैरीयर फ्री बिल्ट एनवायरमेन्ट फोर पर्सन्स विद डिसअबिलिटी एंड एल्डरली पर्सन्स
लक्ष्य	सुगम्य लेखा परीक्षा आयोजित करना और नामित केंद्रीय और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की इमारतों को सुगम्य बनाना है।

- रैंप, लिफ्ट, शौचालय, पार्किंग आदि जैसी सुगम्य विशेषताएं प्रदान करके 1524 इमारतों को सुगम्य बनाया गया हे । इनमें शामिल हैं : –
  - 1030 केंद्र सरकार की इमारतें
  - 494 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की इमारतें

- 1662 राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सरकार की इमारतों का सुगम्यता के लिए एक्सेस ऑडिट पूरा किया गया (केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित)

सुगम्य भवनों के निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख आवश्यकता स्थानीय उप विधियां (लोकल बाय लॉज़) जिसमें सुगम्यता शामिल हो, को बनाना और उन्हें लागू करना है। अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने बिल्डिंग परमिट और कार्य पूरा होने के संबंध में प्रमाणपत्र देने की प्रक्रिया के साथ सुगम्यता को जोड़ने के लिए मॉडल बिल्डिंग बाय लॉज़ को अपनाया है।

भारत सरकार के परियोजना मूल्यांकनों में अब सुगम्यता के पहलुओं की निगरानी शामिल है।

सर्वोत्तम प्रथाएं : निर्मित वातावरण

कोहिमा, नागालैंड में स्थित महालेखाकार कार्यालय में डबल हाइट रेलिंग के साथ रैंप बनाया गया है।

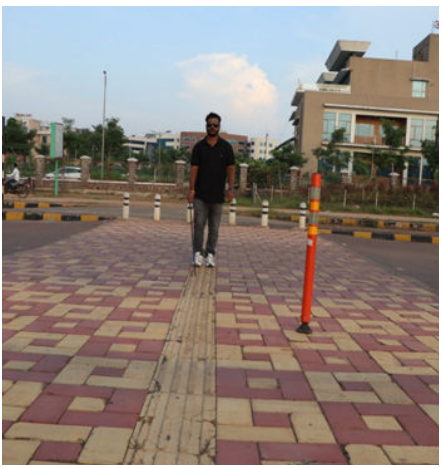

नए रायपुर स्मार्ट सिटी को सुगम्य वॉकवे और पैदल यात्री क्रॉसिंग के साथ डिजाइन किया गया है।

[सौजन्य: नागालैंड और छत्तीसगढ़ की राज्य सरकारें]

II. परिवहन क्षेत्र

इस क्षेत्र के लिए, बुनियादी ढांचे के साथ-साथ परिवहन क्षेत्र की सेवाओं में सुगम्यता प्रदान करने पर ध्यान दिया जा रहा है। इस प्रकार, हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों के साथ-साथ वाहक (रेलवे कोच, बस, आदि) और संबंधित सेवाओं जैसे टिकट बुकिंग, पूछताछ, बुकिंग की स्थिति, विशेष सहायता की बुकिंग, आदि को दिव्यांग अनुकूल बनाया जा रहा है।

दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन में सुगम्यता

दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन ने दिव्यांगजनों की यात्रा को बाधा मुक्त बनाने के लिए विशेष उपाय किए हैं उपाय किए हैं

प्रदान की गई सुगम्यता सुविधाओं में शामिल है :

- वाइड ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन(एएफसी) गेट
- व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के लिए चार्जिंग पॉइंट के पास ट्रेन के अंदर आरखित स्थान
- ट्रेनों में बाधा रहित बोर्डिंग
- ड्रॉप ऑफ पॉइंट्स से रैंप
- ब्रेन बटन सहित निम्न स्तर पर स्थित कंट्रोल पैनल वाली लिफ्ट
- टिकट काउंटरों, एएफसी गेटों, लिफ्टों और ट्रेन बोर्डिंग गेट्स/प्वाइंटस तक जाने के लिए टैक्टाइल पथ
- सुगम्य शौचालय

[सौजन्य: दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन]

हवाई अड्डे

सुगम्यता के मानक	हवाई यात्रा के लिए सुगम्यता के मानक तैयार किए जा रहें हैं

हवाई अड्डों में सुगम्यता के प्रावधान

रैम्प

शौचालय

लिफ्ट

टैक्टाइल

पार्किंग

पेयजल

विशेष प्रावधान
(एयरोब्रिज, ऐम्ब्यू-लिफ्ट, आरक्षित बैठने की व्यवस्था, सामान दावा कैरोसेल्स में आरक्षित स्थान, विशेष सहायता)

हवाई यात्रा में सुगम्यता के लिए प्रस्तावित प्रावधान

एयरपोर्ट ऑपरेटर्स द्वारा

- सुगम्य पार्किंग
- चिन्हित ड्रापऑफ/ पिक अप स्थानों सहित सुगम्य मार्ग
- सुगम्य प्रवेश
- हेल्पडेस्क और चेक-इन एरिया
- सुगम्य सुरक्षा जांच
- सामान दावा करने वाले क्षेत्रों और आराम स्थलों पर सुगम्यता
- टैक्टाइल भू-सतह संकेतक
- ऐयरोब्रिज और ऐम्ब्यू-लिफ्ट
- लो-फ्लोर बसें

एयरलाइन्स द्वारा

- सुगम्य वेबसाइट
- कॉल सेंटर/ ओटीए टिकटिंग तक पहुंच
- विशेष सहायता और स्टाफ एवं अटेंडेन्ट को विशेष प्रशिक्षण
- विशेष कोच
- बोर्डिंग के लिए रैम्प्स
- ब्रैल फार्मेट में सूचना बुकलेट
- व्यक्तिगत गतिशीलता उपकरणों और व्हीलचेयर के लिए व्यवस्था
- ऑनबोर्ड सहायता
- फ्लाइट में मनोरंजन के लिए सुगम्य फार्मेट

सुरक्षा एजेन्सियों द्वारा

- व्हीलचेयर, प्रोस्थेटिक्स, चिकित्सा उपकरणों या पट्टियों और सर्विस ऐनिमल्स के साथ यात्रियों के लिए निर्बाध जांच(स्क्रीनिंग)
- ऐम्ब्युलेंस सेवाओं का प्रयोग कर रहे यात्रियों के लिए विशेष जांच
- दवा और संबद्ध आपूर्तियों की जांच
- रेस्पिरेटरी उपकरणों की एक्स-रे जांच

सर्वोत्तम प्रथाएं : हवाई अड्डे

बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, रांची, झारखंड में सामान दावा क्षेत्रों के पास आरक्षित स्थान

देवी अहिल्या बाई होलकर हवाई अड्डा, इंदौर, मध्य प्रदेश में आसान स्थानान्तरण (ट्रान्सफर) के लिए ई-कार्ट सेवाएं

तमिलनाडु के चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में बाधा मुक्त बोर्डिंग के लिए एयरोब्रिज

हवाई अड्डों पर उपलब्ध ऐम्ब्यू-लिफ्ट के माध्यम से बोर्डिंग में आसानी

नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, कोलकाता में व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के लिए कम ऊंचाई वाले काउंटर

ओडिशा के झारसुगुडा हवाई अड्डे में आरक्षित बैठने की व्यवस्था

[सौजन्य: भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण]

रेलवे

सुगम्यता के मानक	रेल यात्रा के लिए सुगम्यता के मानक तैयार किए जा रहें हैं

रेलवे स्टेशनों में सुगम्यता के प्रावधान

सर्वोत्तम प्रथाएं : रेलवे

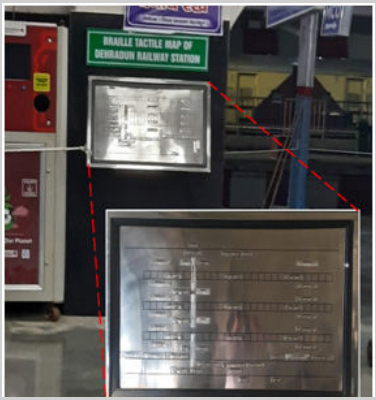

देहरादून रेलवे स्टेशन में आसानी से रास्ते का पता लगाने के लिए रेलिंग के साथ ब्रेल टैक्टाइल मानचित्र और ब्रेल संकेतक/साइनेज उपलब्ध कराए गए हैं

परिवहन क्षेत्र में सुगम्यता

हवाई अड्डे- सभी 35 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों में और 69 घरेलू हवाई अड्डों में से 55 में सुगम्यता की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

रेलवे- 1391 रेलवे स्टेशनों पर सुगम्यता की सुविधा प्रदान की गई है, जिसमें 603 रेलवे स्टेशनों को सुगम्य अंतर-प्लेटफार्म स्थानांतरण (ट्रान्सफर) और प्लेटफार्मों के किनारों पर चिह्न प्रदान किए गए हैं।

सार्वजनिक परिवहन - 62 एसटीयू (राज्य परिवहन उपक्रम) के स्वामित्व वाली 1,47,368 परिचालन बसों में से - 42,169 (28.61%) बसों को आंशिक रूप से सुगम्य और 10,175 (6.90%) बसों को पूरी तरह से सुगम्य बनाया गया।

सार्वजनिक परिवहन

सुगम्यता के अधिसूचित मानक	कोड ऑफ प्रैक्टिस फोर बस बोडी एंड अप्रूवल

सरकारी सार्वजनिक परिवहन वाहकों (बसों) में सुगम्यता के प्रावधान

बसों में उपलब्ध कराई गई सुगम्य विशेषताएं –

- आसानी से व्हीलचेयर के साथ चढ़ने और उतरने के लिए फोल्डेबल रैंप और चौड़े दरवाज़े
- ऑडियो घोषणा प्रणाली और जानकारी का वीडियो या डिजिटल प्रदर्शन
- आपातकालीन प्रतिक्रिया उपकरण - अलार्म बटन और अग्निशमन उपकरण पहुंच योग्य ऊंचाइयों पर स्थित हैं
- सुरक्षा लॉक और बेल्ट्स सहित व्हीलचेयर्स उपयोगकर्ताओं के लिए आरक्षित स्थान तथा वृद्ध, गर्भवती महिलाओं और दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित बैठने की व्यवस्था
- ग्राफिकल और ब्रैल साइनेज का प्रयोग करते हुए सूचना (जैसे सीट नम्बर और चलने के लिए आगे शेष कदम)उपलब्ध कराए गए हैं

सर्वोत्तम प्रथाएं : सार्वजनिक परिवहन वाहक

इंदौर में व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं द्वारा बस में चढ़ने की सहूलियत के लिए फोल्डेबल रैंप और चौड़े दरवाजे प्रदान किए गए।

दिल्ली परिवहन निगम की बसों के अंदर व्हीलचेयर के लिए सुरक्षित स्थान का आवंटन

III. सूचना और संचार प्रौद्योगिकी इकोसिस्टम

सुगम्य भारत अभियान वेबसाइटों, सार्वजनिक दस्तावेजों, टीवी पर मीडिया कंटेंट में सुगम्यता और सांकेतिक भाषा दुभाषियों (इंटरप्रेटर्स) के प्रशिक्षण को बढ़ावा देता है ।

इसका उद्देश्य सुगम्य वेबसाइटों, सुगम्य सार्वजनिक दस्तावेजों का उपलोड होना, सार्वजनिक टेलीविजन समाचार, मनोरंजन के कार्यक्रमों तथा सांकेतिक भाषा इंटरप्रिटेशन को भी विकसित करना है ।

सर्वोत्तम प्रथाएं : वेबसाइट

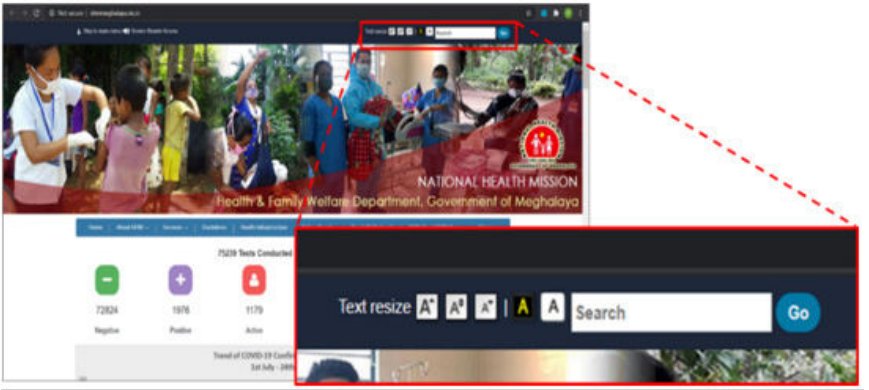

पूर्ण रूप से सुगम्य वेबसाइट

सुगम्यता के अधिसूचित मानक	भारत सरकार की वेबसाइटों के मार्गनिर्देशक
लक्ष्य (वेबसाइट एवं सार्वजनिक दस्तावेज़)	सरकारी वेबसाइटों और सरकार द्वारा जारी किए गए सार्वजनिक दस्तावेजों को सुगम्यता मानकों का अनुपालन करते हुए पूर्ण रूप से सुगम्य बनाना

- 588 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की वेबसाइटों में अन्य सुविधाओं के साथ-साथ स्क्रीन रीडर, कलर कंट्रास्ट, ट्रांसलेशन, फॉन्ट साइज कंट्रोल के लिए सुगम्यता की सुविधाएं दी गई है।
- केन्द्र सरकार की 95 वेबसाइटों को पहले से ही सुगम्य बनाया जा चुका है।
- सभी मंत्रालयों/विभागों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सुगम्य प्रारूपों में सार्वजनिक दस्तावेजों के विकास के लिए कार्य करना होगा ।

लक्ष्य (सांकेतिक भाषा दुभाषिए)	सांकेतिक भाषा दुभाषियों का प्रशिक्षण और विकास

- भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र द्वारा दीर्घकालिक, अल्पकालिक और व्यावसाथिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से 1250 से अधिक सांकेतिक भाषा दुभाषियों को प्रशिक्षित किया गया है।

लक्ष्य **(टीवी देखने में)**	कैप्शनिंग और सांकेतिक भाषा इंटप्रिटेशन पर राष्ट्रीय मानकों का विकास और सरकारी चैनलों द्वारा प्रसारित सार्वजनिक टीवी कार्यक्रमों को मानकों के अनुरूप बनाना

- सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने श्रवण बाधितों के लिए सुगम्य टीवी देखने के लिए मानक तैयार किए हैं जिसमें विशेष उपकरणों के क्लोज्ड कैप्शनिंग, सबटाइटलिंग और डिजाइनिंग का प्रावधान है ।
- चरणबद्ध तरीके से टीवी पर सुगम्य सामग्री को बढ़ाया जा रहा है।
  1. 19 निजी समाचार चैनलों ने 2447 सुगम्य न्यूज बुलेटिन का प्रसारण किया है ।
  2. 17 सामान्य मनोरंजन चैनलों द्वारा सबटाइटलिंग का उपयोग करके 3686 अनुसूचित कार्यक्रम/फिल्में प्रसारित की हैं।

सर्वोत्तम प्रथाएं : टी वी देखने में

डीडी न्यूज पर सांकेतिक भाषा दुभाषिया के साथ स्वतंत्रता दिवस का प्रसारण

अध्याय-3

प्रगति की ओर

सही मायने में सार्वभौमिक रूप से सुगम्य भारत के विकास और एक मजबूत एवं कुशल ईकोसिस्टम लाने के लिए सुगम्यता को प्राथमिकता देना आवश्यक है। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में सुगम्य वातावरण और सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए ।

सुगम्यता के पहले कदम के रूप में, क्षेत्रवार सुगम्य मानकों को निर्धारित और अधिसूचित किया जाना आवश्यक है । अब तक, सार्वजनिक भवनों, यात्री बसों और वेबसाइटों पर दिए गए दस्तावेजों सहित सरकारी वेबसाइटों के सुगम्यता के मानकों को अधिसूचित किया गया है। इसलिए दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 में अधिसूचना के लिए, सुगम्य भारत अभियान के तहत, सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित कार्य करने वाले केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों को, उनके क्षेत्र में निर्धारित समय सीमा के भीतर मानक/दिशा निर्देश (गाइडलाइन्स) तैयार करने का काम सौंपा गया है।

अध्याय-4

ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग

इस अभियान की मॉनिटरिंग के उद्देश्य से, सितंबर 2019 में एक एमआईएस पोर्टल का लॉन्च किया गया था। केंद्रीय मंत्रालय/विभाग और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र इस पोर्टल पर सुगम्य भारत अभियान के लक्ष्यों के कार्यान्वयन से संबंधित डेटा अपलोड करते हैं ।

अभियान को जन आंदोलन में बदलने के लिए और जन-भागीदारी के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं एक क्राउडसोर्सिंग ऐप विकसित करने का निर्देश दिया था ताकि दिव्यांगजन भारत के किसी भी जगह से सुगम्यता न होने की स्थिति में उनके सामने आने वाली कठिनाईयों के मुद्दे उठा सकें।

माननीय प्रधानमंत्री जी के विज़न के अनुरूप, सुगम्य भारत ऐप - एक क्राउडसोर्सिंग मोबाइल एप्लीकेशन का 2 मार्च 2021 को लोकार्पण किया गया था।

सुगम्यता से संबंधित मुद्दे उठाने के लिए सुगम्य भारत ऐप – 'कोई भी - कहीं से भी – कभी भी'।

उपयोगकर्ता-अनुकूल विशेषताएं:

- सरल पंजीकरण
- सुगम्य ड्रापडाउन मेनू
- 10 भाषाओं के लिए विकल्प
- फोटोग्राफ्स और लोकेशन के लिए जियोटैगिंग
- हिंदी और अंग्रेजी में वीडियो प्रदर्शन
- विवरण/जानकारी के लिए पॉप-अप सुविधा
- शिकायतकर्ता को अलर्ट के माध्यम से स्थिति की जानकारी दी जाती है

सुगम्य सुविधाएं:

- टैक्स्ट टू स्पीच
- फॉन्ट साइज़ को बदलने की सुविधा
- कलर कॉन्ट्रास्टिंग का विकल्प
- एंड्रॉइड और आईओएस सुगम्यता मोड के साथ अनुकूलता।

अध्याय 5

निरंतर जागरूकता सृजन और अभियान को आगे बढ़ाना

पूरे देश में बुनियादी ढांचे और सेवाओं में बड़े पैमाने पर सुगम्यता लाना एक बड़ी चुनौती है। इसके लिए बड़े पैमाने पर लोगों की मानसिकता में भी बदलाव की जरूरत है। अत: समाज में इस तरह का महत्वपूर्ण बदलाव लाने के लिए निरंतर जागरूकता सृजन और संवेदनशीलता पैदा करना महत्वपूर्ण है।

सुगम्यता का एक रेडी रेकनर: सुगम्यता की आवश्यक न्यूनतम आवश्यकताओं को सरल तरीके से समझाने के लिए, भवनों में सुगम्यता की 10 मूलभूत विशेषताओं की एक सरल गाईड बुक विकसित की गई है।

सुगम्य सुविधाएं	विशेष विवरण
मार्ग/ पाथवे	900मि.मी. – 1800मि.मी., गैर-फिसलन सतह, टैक्टाइल मार्ग, साइनेज, अच्छी तरह से प्रकाशमय, अबाधित
पार्किंग	5000मि.मी. X 3600मि.मी, प्रवेश द्वार के 30 मीटर के भीतर, ट्रान्सफर बे, सुगम्य मार्ग से जुड़ा हुआ, वर्टिकल और फर्श पर साइनेज
प्रवेश-द्वार	900 – 1800मि.मी. की चौड़ाई, ग्रेडियंट 1:12 सहित रैम्प और डबल हाईट की गोल हैंडरेल , गैर-फिसलन और कलर कॉन्ट्रास्ट किया गया फर्श, 1000मि.मी. चौड़ाई का मुख्य द्वार, प्रमुख साइनेज
कॉरिडोर	1500मि.मी. से 1800मि.मी. चौड़ा, गैर-फिसलन सतह, टैक्टाइल मार्ग, अच्छी तरह से प्रकाशमय,कुर्सियों/पौधों द्वारा अबाधित, दरवाजे कॉरिडोर की तरफ खुलने नहीं चाहिए
रिसेप्शन	750-900मि.मी. चौड़ाई सहित कम ऊंचाई वाले काउंटर(750-800मि.मी.) और 800मि.मी. ऊंचाई के लेग स्पेस तथा काउंटर के नीचे 480 मि.मी. डेप्थ, सुगम्यता सुविधाओं की सूचना, संचार के लिए वैकल्पिक मीडिया- इंडक्शन लूप, ब्रैल, ऑडियो, आदि
लिफ्ट/ऐलीवेटर	प्रवेश द्वार पर चेतावनी टाइल्स के साथ 900मि.मी. चौड़ाई वाला दरवाजा, 1500मि.मी. X 1500मि.मी. लिफ्ट कार का आकार, ब्रैल बटन, ऑडियो वाली सूचना और डिजिटल डिस्प्ले, तीनों तरफ से ग्रैब बार्स, अलार्म बटन, पीछे की दीवार पर शीशा
शौचालय	2000मि.मी. X 2200मि.मी. क्षेत्रफल, बाएं और दाएं हाथ का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों द्वारा उपयोग के लिए ग्रैब-बार, 900 मिमी दरवाजा (डबल स्विंग या बाहर की ओर खोलना), गैर-फिसलन सतह, आपातकालीन बटन, लैच (मध्य, बेस भी), आसानी से ऑपरेट करने वाले हैंडल्स और लॉन्ग नेक के लीवर टाइप टैप, बिना किसी चौखट के।
सीढ़ियां	सीढियों पर कलर कॉन्ट्रास्टिंग स्ट्रिप्स, दुगुनी ऊंचाई के गोल हैंडरेल्स (38-45 मि.मी.डायामीटर, दीवार से 50मिमी की दूरी) शुरू और अंत में चेतावनी टाइल्स
पेयजल की सुविधा	दुगुनी ऊंचाई (750-800मिमी) फाउन्टेन का प्रकार, आसानी से ऑपरेट करने वाले टैप, काउंटर के नीचे लेग स्पेस(300मिमी), कोई सीढ़ी या प्लेटफार्म नहीं अन्यथा रैम्प उपलब्ध कराया जाएगा।
साइनेज	दिशात्मक और सूचनात्मक, हाई कान्ट्रास्ट, आसानी से समझने वाले, प्रमुख और अबाधित स्थान, मानकीकृत, वैकल्पिक फार्मेट- ब्रैल, ऑडियो आउटपुट, टैक्टाइल मैप/बोर्ड, गैर-चमकीली मैट सामग्री, टिकाऊ क्वालिटी।

एक्सेस – दी फ़ोटो डाइजेस्ट

संवेदीकरण और जागरूकता पैदा करने के लिए एक्सेस– दी फ़ोटो डाइजेस्ट नामक व्याख्यात्मक गाइड बुक की एक सीरीज़ संकलित की जा रही है। सार्वजनिक इमारतों पर सीरीज़ का पहला खंड 2 मार्च 2021 को सुगम्य भारत ऐप के साथ ही लॉन्च किया गया है। ये बुकलेट्स कार्यकारी और कार्यान्वयन एजेंसियों के पेशेवरों के साथ-साथ आम लोगों को अपने परिवेश में सुगम्यता लाने में मदद करेंगी। इस सीरीज़ का दूसरा खंड, हवाई अड्डों में सुगम्यता पर है।

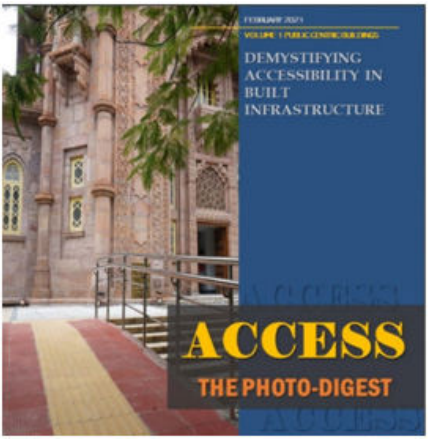

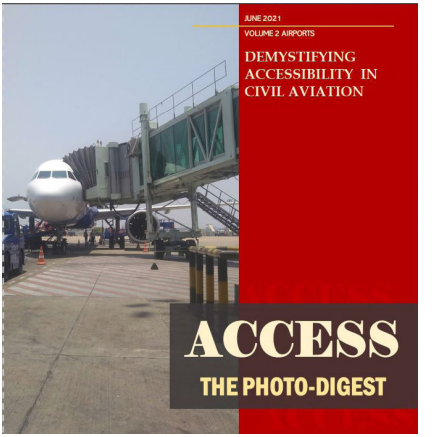

ई-कॉमिक और गतिविधि पुस्तक

स्कूल जाने वाले छात्रों के लिए सुगम्यता पर एक सुगम्य और इंटरैक्टिव ई-कॉमिक-कम-एक्टिविटी बुक तैयार की गई है। इसका उद्देश्य बच्चों को उनके प्रारंभिक वर्षों में ही सुगम्यता के महत्व को समझाना है। इस कॉमिक स्ट्रिप में एक युवा लड़की की कहानी है जो सुगम्यता के महत्व को सीखती है और एक सुगम्यता योद्धा बनने की प्रतिज्ञा करती है।

सामाजिक बुनियादी ढांचे में सुगम्यता बढ़ाने के उपाय

शिक्षा के क्षेत्र में सुगम्यता

- 11,68,292 में से 8,33,703 (71%) सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को रैम्प, हैंडरेल और सुगम्य शौचालय उपलब्ध कराकर बाधामुक्त बनाया गया है।
- कक्षा 1 से 12 और बीएड पाठ्यक्रम में एनसीईआरटी द्वारा और राज्य बोर्डों द्वारा सुगम्यता विषय को शामिल किया गया है ।
- समग्र शिक्षा अभियान के तहत, शिक्षकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण और विशेष प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण का प्रावधान किया गया है।

पर्यटन क्षेत्र में सुगम्यता

होटल	स्मारक
• परियोजना स्तर पर होटल के अनुमोदन और क्रियाशील होटलों के वर्गीकरण/पुनर्वर्गीकरण के लिए, सुगम्यता को अनिवार्य किया गया है। • दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए 1849 होटलों के 109705 कमरों को विकसित किया गया हैं।	• 28 अनुमोदित परियोजनाओं को स्मारक मित्र (निजी/सार्वजनिक कंपनियों/व्यक्तियों) द्वारा 'एडॉप्ट ए हेरिटेज प्रोजेक्ट' के तहत कार्यान्वित किया जा रहा है, जहां बाधा मुक्त स्मारकों का निर्माण अनिवार्य कर दिया गया है। • विषय (थीम) आधारित पर्यटन सर्किट में बाधा मुक्त बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 'स्वदेश दर्शन' योजना के तहत सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से 76 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। • 'प्रशाद' योजना के तहत चिन्हित तीर्थ शहरों में सुगम्य सुविधाओं के विकास की 36 परियोजनाओं में से 16 परियोजनाओं को पूरा किया गया।

केवड़िया, गुजरात में प्रतिष्ठित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के सबसे समावेशी पर्यटन स्थलों में से एक है।

स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कॉम्प्लेक्स में उपलब्ध सुगम्यता की विशेषताओं में शामिल हैं

- ट्रैवलेटर्स
- व्यूइंग डेक्स तक पहुँचने के लिए सुगम्य लिफ्ट
- व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के लिए निर्बाध सुरक्षा जांच
- आसानी से आने-जाने के लिए व्हीलचेयर और ई-कार्ट
- सुगम्य शौचालय और पेयजल स्टेशन
- साइनेज

क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटरों में सुगम्यता

प्रत्येक बच्चे के समग्र विकास और उन्नति के लिए पहले छह वर्ष की आयु महत्वपूर्ण होती है। इसलिए विभिन्न प्रकार के दिव्यांगता ग्रस्त बच्चों के लिए पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए पूरे भारत में क्रॉस-

दिव्यांगता पर केंद्रित, 14 अर्ली इंटरवेंशन सेंटर (ई आई सी) स्थापित किए गए और 17 जून 2021 को लॉन्च किए गए।

इन केंद्रों में सुगम्य सुविधाएं जैसे सुगम्य पार्किंग, मार्ग, रैंप, सुगम्य स्वागत काउंटर, सुगम्य शौचालय एवं पेयजल प्वाइंट, सीढ़ियां और उपयुक्त निर्देशात्मक और दिशात्मक संकेत उपलब्ध कराये गए हैं ।

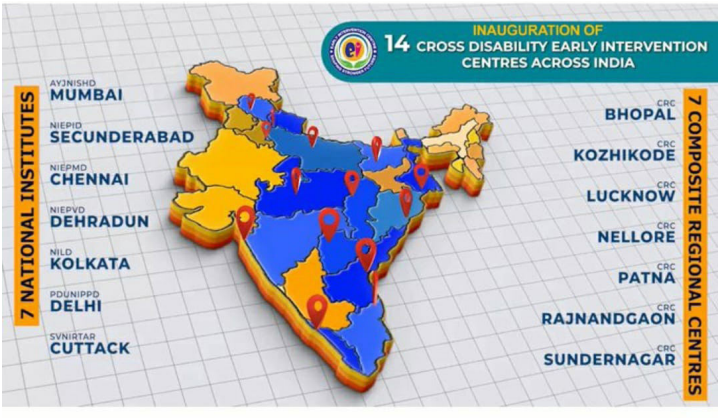

संचार के सुगम्य साधन: भारतीय सांकेतिक भाषा (आई एस एल)

श्रवण बाधित व्यक्तियों की सहायता के लिए, भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र (आई एस एल आर टी सी), एन सी ई आर टी के साथ मिलकर एन सी ई आर टी पाठ्यपुस्तकों तथा अन्य शैक्षिक सामग्री को आई एस एल डिजिटल प्रारूप में बदल रहा है । इसके अलावा, 10,000 शब्दों वाली आईएसएल शब्दकोश का तीसरा संस्करण 17 फरवरी 2021 को प्रमोचित किया गया था।

भारतीय सांकेतिक भाषा – 'एक राष्ट्र, एक सांकेतिक भाषा' विषय पर आईएसएलआरटीसी की झांकी को गणतंत्र दिवस परेड 2021 में शामिल करना, सुगम्यता के अभिन्न अंग के रूप में आईएसएल के विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

अध्याय 6

प्रशंसा पत्र

सुगम्य भारत ऐप

"जैसे स्वच्छ भारत अभियान के बारे में हर किसी को पता है, वैसे ही लोगों को सुगम्य भारत अभियान के बारे में भी जानना चाहिए। दिव्यांगजनों तक सुगम्यता के विस्तार से ... आर्थिक विस्तार को बढ़ावा मिलेगा, माननीय प्रधानमंत्री के भारत को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के विजन को सुगम्यता के माध्यम से हासिल किया जा सकता है।

श्री प्रणव देसाई
संस्थापक, वॉयस आफ स्पेसिएली एब्लडपीपल

"सुगम्यता दिव्यांगजनों के लिए एक जीवन रेखा है.... यह महत्वपूर्ण है कि हमारे पास एक सुगम्य भारत ऐप है जिसके माध्यम से दिव्यांगजनों, उनके परिवारों और देखभाल करने वाले सुगम्य वातावरण की मांग कर सकते हैं। हमारे लिए सुगम्य भारत सशक्त भारत है।

डॉ. श्रीमती अंजली अग्रवाल,
सह-संस्थापक समर्थयम

"यह ऐप क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगी और आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 के प्रावधानों को साकार बनाने के लिए ऐप प्रभावी साधन के रूप में काम करेगी।

श्री संतोष कुमार रूंगटा, महासचिव,
नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड्स

सुगम्य भारत अभियान

"महोदय, हमने अपने स्कूल में सुगम्य भारत अभियान मनाया। इससे विद्यार्थियों को समाज के दिव्यांगजनों की सहायता करने के लिए प्रेरणा एवं प्रोत्साहन मिला। मुझे लगता है कि यह एक बड़ी पहल थी।

श्री दिलीप चौहान स्कूल अध्यापक
अहमदाबाद, गुजरात

"इस अभियान की शुरूआत अपने आप में एक क्रांतिकारी कदम है क्योंकि देश में राजनैतिक दलों और सरकारों ने अब तक दिव्यांगजनों की उपेक्षा की है। सरकार द्वारा देश के इस भूले हुए समुदाय के लिए सुगम्य भारत अभियान का शुभारंभ करना बहुत ही प्रशंसनीय है।

श्री निपुण मल्होत्रा संस्थापक एवं सीईओ, निपमैन फाउंडेशन

समाचार में:

Social justice ministry
pvt industries to exter
'Accessible India Cam
Outlook
THE NEWS SCROLL
Social justice ministry ropes in pvt industries to extend reach of "Accessible India Campaign"
and standards of railway coaches, their alignment with platforms, inter platform transfers to lifts and subways are all being posed for better accessibility
High Five to Accessible India
ET brings you different elements of BJP government's next big-ticket initiative Accessible India:
Accessible Tourism
Would make website, bookings, hotels and tourist spot accessible to differently-abled
Accessibility Clubs
Encourage institutes like IITs and other colleges to have Accessibility clubs
Technological Interventions
The govt would introduce technologies like "On Board" on buses
Sugamya Bharat App
With this, anyone would be able to take a photograph of an inaccessible place and upload it on a web portal
Accessible Television Viewing
The government would make it mandatory for 25% of programmes on Doordarshan to be differently-abled friendly
Work In
We are using impaired instead of handicapped to start with. Nomenclature changes take time. We also need to look at the norms of UNCRPD (Convention on the Rights of Persons with Disabilities)
A MINISTRY OFFICIAL
Consider drug addiction as illness, treat those suffering without discrimination: Minister
A committee for standardisation of facilities in public places like airports, railway stations/trains and road sector is on the job.
The AIC is making a steady progress as 18 organisations in 48 cities have been empanelled as access auditors by the DEPwD.
Union Minister Thaawar Chand Gehlot launches 'Sugamya Bharat' App and handbook 'Access - The Photo Digest'
App to help disabled in accessibility battle
Times View:
Narendra Modi
@narendramodi
The resilience and fortitude of persons with disab
inspires us. Under the Accessible India initiative, n
measures have been taken that ensure there is a po
change in the lives of our Divyang sisters and brothe
#InternationalDayofPersonswithDisabilities
9:13 AM · Dec 3, 2020
Thaawarchand Gehlot virtually launches "Sugamya Bharat App" and Handbook "Access - the Photo Digest
The Economic Times
'Sugamya Bharat App' launched to ease accessibility issues faced by differently abled in buildings, transport system
Mar 02, 2021
Union minister Thaawarchand Gehlot virtually launched "Sugamya Bharat App", a crowd-sourcing mobile application, and a handbook entitled "Access - The Photo Digest" on

दिव्यांगजनों का अनुकूलन और धैर्य हमें प्रेरित करता है। सुगम्य भारत पहल के तहत, कई उपाय किए गए हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि हमारे दिव्यांग बहनों और भाइयों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हों।

-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट,
3 दिसंबर 2020

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
भारत सरकार

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार